

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर-482004 (म.प्र.)

कर्मांक-शैक्ष./दो/परीक्षा/डिप्लोमा/2020-21/
प्रति,

दिनांक: /02/2021

श्रीमति भारती दास
प्रगरी, विश्वविद्यालय वेबसाईट
विनियोग एवं उपकरण सेन्टर
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर.

विषय :

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, रनगुओं, गढ़ाकोटा जिला सागर में संचालित द्वि-वर्षीय उद्यानिकी डिप्लोमा (2-years Diploma in Horticulture) पाठ्यक्रम की सीटों पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग प्रक्रिया सम्पन्न कराने बावत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के संबंध में लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, रनगुओं, गढ़ाकोटा जिला सागर में संचालित द्वि-वर्षीय उद्यानिकी डिप्लोमा (2-years Diploma in Horticulture) पाठ्यक्रम की निर्धारित सीटों पर में प्रवेश हेतु ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग प्रक्रिया संपन्न किया जाना है । काउंसिलिंग प्रक्रिया का कार्यक्रम एवं निर्धारित सीटें एवं अन्य विस्तृत विवरण की प्रतियाँ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

अतः संलग्न काउंसिलिंग प्रक्रिया के कार्यक्रम को विश्वविद्यालय की वेबसाईट में तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

पृ. कर्मांक-शैक्ष./दो/परीक्षा/डिप्लोमा/2020-21/164,

दिनांक: 9/02/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
2. प्रमुख वैज्ञानिक, उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, रनगुओं, गढ़ाकोटा जिला सागर.
3. डॉ. यू.एस. ठाकुर, सम्पर्क अधिकारी (ज.ने.कृ.वि.वि.), एलआईजी-176, सीआईआई क्वार्टर,

चेतक बिज के नीचे, गौतम नगर, भोपाल-462023

प्रबंधक, किस्म ऑनलाईन एजेन्सी, श्यामला हिल्स, भोपाल.

(कार्यक्रम संलग्न है)

कुलसचिव

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर-482004 (म.प्र.)

उद्यानिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सीटों पर ऑनलाईन प्रवेश सत्र 2020-2021

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, रनगुआँ, गढ़ाकोटा जिला सागर में उद्यानिकी द्वि-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु (10+2) बारहवीं (कृषि/गणित/जीव विज्ञान) विषय के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन काउंसिलिंग में इंटरनेट द्वारा अपने घर/शहर/गाँव से अधिकृत सहायता केन्द्रों से अथवा म.प्र. स्थित किसी कियोस्क से वेबसाइट www.jnkvv.org या www.crisponlineservices.com के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं, डिप्लोमा 02 विषयों में उपलब्ध है।

1. नर्सरी मैनेजमेंट (पोधशाला प्रबंधन) — सीट संख्या 40
2. सीड प्रोडक्शन (बीज उत्पादन) — सीट संख्या 40

ऑनलाईन आवेदन एवं शुल्क का भुगतान कर लॉक करना	उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान रनगुआँ गढ़ाकोटा में दस्तावेजों का सत्यापन	प्रावीणता मेरिट सूची के आधार पर ऑनलाईन सीट का आबंटन	ऑनलाईन काउंसिलिंग आशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान	गढ़ाकोटा संस्थान में उपस्थिति प्रवेश एवं फीस का ऑनलाईन भुगतान
दिनांक 15-02-2021 से 22-02-2021 (रात्रि 12 बजे तक)	दिनांक 23-02-2021 से 24-02-2021 (सुबह 11 बजे से 5 बजे तक)	दिनांक 25-02-2021 से 26-02-2021 (रात्रि 12 बजे तक)	दिनांक 27-02-2021 से 01-03-2021 (रात्रि 12 बजे तक)	दिनांक 02-03-2021 से 03-03-2021 (सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक)

अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व उपर दी गई वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश संबंधी नियम एवं विस्तृत जानकारी की सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेवे।

कुलसचिव
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर

उद्यानिकी विषय में प्रारम्भ होने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रम का विवरण

1. पाठ्यक्रम का स्थल :- "उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान," रनगुआ, गढाकोटा, जिला-सागर (म0प्र0)
2. प्रारम्भ वर्ष :- शैक्षणिक सत्र 2008-2009 से
3. उपलब्ध पाठ्यक्रम :- उद्यानिकी डिप्लोमा दो पाठ्यक्रमों में उपलब्ध हैं
1. पौधशाला प्रबंधन (नर्सरी मैनेजमेंट) 2. बीज उत्पादन (सीड प्रोडक्शन)
4. पाठ्यक्रम की अवधि :- दो वर्ष (चार सेमेस्टर)
5. पात्रता :- 10+ 2 पाठ्यक्रम (विषय-कृषि/गणित/जीव विज्ञान)
(केवल मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से निवास करने वाले विद्यार्थियों हेतु)
6. प्रवेश का आधार :- मेरिट (प्रावीण्य सूची) के आधार पर (अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 50 प्रतिशत या अधिक) (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत)
7. शिक्षा का माध्यम :- हिन्दी
8. सीटों का विवरण :- उपलब्ध सीटों का विभिन्न श्रेणी (वर्गवार) सीटों का विवरण

वर्ग	कुल सीटों का प्रतिशत	पौधशाला प्रबंधन			बीज उत्पादन		
		X बिना वर्ग	F महिला	कुल सीट	X बिना वर्ग	F महिला	कुल सीट
अनारक्षित (UR)	50	14	06	20	14	06	20
अनुसूचित जनजाति (ST)	21	06	02	08	06	02	08
अनुसूचित जाति (SC)	15	04	02	06	04	02	06
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	14	04	02	06	04	02	06
योग	100	28	12	40	28	12	40

नोट :- प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड नियमानुसार यदि आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध नहीं हो, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी में बिना वर्ग के प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त स्थानों को नियमानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

अनुसूचित जन जाति के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों से भरा जावेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे।

सभी वर्गों/श्रेणियों के अर्न्तगत महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत होरीजोन्टल आरक्षण रहेगा। यदि किसी वर्ग/श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिलें, तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी वर्ग/श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी।

जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

आनलाईन आंफ केम्पस काउंसिलिंग प्रक्रिया – 2020–2021

Diploma In Horticulture

उद्यानिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम गढाकोटा जिला सागर (म.प्र.)

Nursery Management (पौधशाला प्रबंधन) Seed Production (बीज उत्पादन)

आनलाईन आंफ केम्पस काउंसिलिंग हेतु छः स्टेप

1. आनलाईन पंजीयन (Online Registration)
2. आनलाईन प्राथमिता क्रम का चयन एवं आनलाईन आवेदन/पोर्टल शुल्क का भुगतान (Online Preference/Choice filling and payment of online application/portal fee)
3. दस्तावेजों का सत्यापन (Document Verification)
4. आनलाईन आवंटन (Online Allotment)
5. आनलाईन आंशिक शिक्षण/काउंसिलिंग शुल्क का भुगतान (Online part payment of counseling fee)
6. आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश (Reporting and Admission in allotted Institute)

काउंसिलिंग में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों तथा काउंसिलिंग कार्यक्रम के आधार सम्मिलित होने वाले समस्त श्रेणी के समस्त अम्पार्थियों को उपरोक्त सभी स्टेप्स 1 से 6 तक पालन करना होगा।

1. आनलाईन पंजीयन (Online Registration)

समस्त श्रेणी के अम्पार्थियों को काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए आनलाईन पंजीयन कराना होगा। आनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए सभी अम्पार्थी बैबसाईट पर आनलाईन पंजीयन करवाएंगे। पंजीयन हेतु शुल्क लगभग राशि रु.250/- दौ सौ रुपया मात्र देय है। आनलाईन काउंसिलिंग हेतु अम्पार्थी इन्टरनेट के माध्यम से जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की बैबसाईट www.jnkvv.org एवं क्रिप्स, भोपाल की बैबसाईट www.crisponlineservices.com द्वारा प्रदेश में कहीं से भी सम्मिलित हो सकते हैं।

सफलतापूर्वक पंजीयन उपरांत अम्यर्थी को आई.डी. एवं पासवर्ड एस.एम.एस./ई.मेल द्वारा प्राप्त होगा।

अगली बार अम्यर्थी अपने आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर लांगइन कर सकते हैं।

सभी अम्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया के लिए पासवर्ड सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो।

अम्यर्थी को ये सुविधा रहेगी की वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है।

पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में अम्यर्थी द्वारा **Forget Password** पर क्लिक कर पासवर्ड **Reset** किया जा सकेगा।

2. आनलाईन प्राथमिता क्रम का चयन एवं आनलाईन आवेदन/पोर्टल शुल्क का भुगतान (Online Preference/Choice filling and payment of online application/portal fee)

सफलतापूर्वक लांगइन पश्चात अम्यर्थी अपने वांछित जानकारी का उपयोग कर पाठ्यक्रमवार प्राथमिकता क्रम से चयन कर सकेंगे। इस कार्यवाही के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा।

अम्यर्थी द्वारा सभी उपलब्ध पाठ्यक्रमों का प्राथमिकतानुसार आनलाईन चयन करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क का भुगतान कर च्वाइस लांक करना अनिवार्य है।

अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को लांक करने के पूर्व अम्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते हैं। शुल्क का भुगतान करने के बाद इच्छित प्राथमिकता क्रम लांक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा। अम्यर्थियों को शुल्क रु. 550/- का आनलाईन भुगतान करना होगा जो कि अप्रतिदेय (Non refundable) है। अपनी च्वाइस को लांक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का व्यौरा तथा उनकी च्वाइस (Choice) का क्रम प्राथमिकता क्रम के अनुसार मुद्रित होगा। अम्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें।

शुल्क का भुगतान के लिए निम्नलिखित दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।

1. इन्टरनेट बैंकिंग (समस्त बैंक)
2. ए.टी.एम./डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा)
3. दस्तावेजों का सत्यापन (Document Verification)

अभ्यर्थी द्वारा इच्छित प्राथमिकता क्रम को लांक करने के पश्चात सर्वप्रथम सत्यापन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को सत्यापित करवाना होगा।

- 10 वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र
- 12 वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र माईग्रेशन प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- गेप प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती

मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगे। अभ्यर्थियों को (Elible/Not Eligible) की पावती जारी करेंगे। **Not Eligible** अभ्यर्थी सत्यापन की अंतिम तिथि के पूर्व पुनः उपस्थित होकर अपने सही/चाहे गये दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं अथवा आरक्षित श्रेणी में **Not Eligible** होने पर अभ्यर्थी अपनी स्वेच्छा से अनारक्षित अभ्यर्थी की श्रेणी में काउंसिलिंग हेतु सम्मिलित हो सकेगा।

4. ऑनलाइन आवंटन (Online Allotment)

अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम मेरिट के अनुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार आवंटन किया जावेगा तथा आवंटित पाठ्यक्रम का उल्लेख आवंटन पत्र में होगा। जिसे वे अपने लांगईन आई.डी./पासवर्ड डालकर इसका प्रिंटआउट प्राप्त करेंगे।

5. ऑनलाइन आंशिक शिक्षण/काउंसिलिंग शुल्क का भुगतान (Online part payment of counseling fee)

आवंटन के पश्चात विद्यार्थी द्वारा अपने लांगईन आई.डी./पासवर्ड का उपयोग कर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आंशिक शिक्षण/काउंसिलिंग शुल्क राशि रु. 1000/राशि रुपया एक हजार मात्र का भुगतान करना होगा। सफलता पूर्वक शुल्क भुगतान करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का व्यौरा मुद्रित होगा। अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें तथा प्रवेश के समय प्रस्तुत करें।

6. आवंटित संस्था उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान गढाकोटा, जिला सागर में उपस्थिति एवं प्रवेश

अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु आवंटन पत्र, काउंसिलिंग शुल्क भुगतान की पावती तथा अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होंगे शुल्क भुगतान की पावती प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे। आवश्यक मूल अभिलेख/प्रमाण पत्र जांच करने के पश्चात छात्रों को वापस कर दिये जायेंगे एवं सभी अभिलेखों के स्वप्रमाणित/सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से जमा कर लिये जायेंगे।

कुलसचिव
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर
